

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान

क्रमांक: एफ.वी.22(14)एफएमसी/ओ. मां. व क्र./पीपीआर-सीपी/16-17

दिनांक:

कार्यालय आदेश

M/s Hester Biosciences Ltd Ahmedabad Gujarat 380006, India के द्वारा विभाग को वर्ष 17-19 हेतु अनुमोदित औषधि Cat No.: VAC-2 (PPR Vaccine) की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किये गये थे। फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी उक्त औषधि के बैचेज की विभाग स्तर से करवायी गयी रेण्डम जांच तथा औषधि नियन्त्रक, राजस्थान के माध्यम से करवायी गयी जांच में IVRI, Izatnagar की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार वैक्सीन निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड अनुसार नहीं पायी गयी थी। इस प्रकार लगातार अमानक टीकों की आपूर्ति किये जाने तथा माल की आपूर्ति नहीं किये जाने से पीपीआर रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

फर्म को पुनः जारी क्रय आदेश क्रमांक 2110 दिनांक 22.11.2019 के क्रम में फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की गयी। फर्म के उक्त कृत्य से पशुधन को रोग मुक्त रखे जाने के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

फर्म को इस सम्बन्ध में नोटिस क्रमांक 4720 दिनांक 08.06.2020 जारी कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही फर्म को आरटीपीपी एक्ट, 2012 की धारा 46(5) के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया।

इस प्रकार फर्म सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रही जिससे स्पष्ट है कि फर्म ने संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है।

निविदा की शर्त सख्या 17 (Supply Orders) के बिन्दु संख्या (x) तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट-II के नियम 57 (5)ख एवं 68 पठित एस आर प्रारूप 16 के बिन्दु संख्या-31(3) के अनुसार फर्म द्वारा विभाग में जमा करायी गयी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 14,00,000/- (अक्षरे चोदह लाख रुपये) जब्त (forfeited) की जाकर RTPP ACT, 2012 की धारा 46 (4) के अनुसार फर्म को इस विभाग की किसी भी उपापन की प्रक्रिया में भाग लेने से आदेश जारी होने की तिथि से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिये विवर्जित (debarred) घोषित किया जाता है।

—Sk—
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक: एफ.वी.22(14)एफएमसी/ओ. मां. व क्र./पीपीआर-सीपी/16-17/5222-दिनांक: 08.07.2020
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु - 5267

1. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राज।
4. समस्त जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कुचामन सिटी, पशुपालन विभाग, राज. को भेजकर लेख है कि औषधि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जांच हेतु सुरक्षित रखवाये गये सेम्पल के अतिरिक्त शेष वैक्सीन फर्म को लौटा दी जावे।
5. आहरण वितरण अधिकारी/लेखा क्रय शाखा, पशुपालन विभाग, राज।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय पशुपालन जयपुर को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. Hester Biosciences Ltd., Pushpak 1st floor, Motilal Hirabhai Road, Panchvati Circle, Ahmedabad Gujarat 380006, India


निदेशक